सर्वे करा बिल्डरों पर नकेल कसेगा रेरा

बगैर रजिस्ट्रेशन अपार्टमेंट बनाने फ्लैट और प्लॉट बेचने वालों पर कसेगा शिकंजा

राज्य ब्यूरो, पटना : अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले बिल्डरों की खैर नहीं। रेरा ने निर्माणाधीन अपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए प्रदेशव्यापी सर्वे कराने का निर्णय किया है। सर्वे में बगैर निबंधन काम करते पाए जाने पर बिल्डर को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। ब्लैकलिस्टेड कंपनी पूरे देश में कहीं भी रियल एस्टेट का काम नहीं कर पाएगी। साथ ही से जुड़े अधिकारी कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकेंगे। सर्वे पर रेरा के सदस्य राजीव भूषण सिन्हा कहते हैं

रेरा की सोच किसी को दिक्कत में डालने की नहीं है, लेकिन अपेक्षा भी है कि बिल्डर ग्राहक से जो वादा करें, उससे न भटकें। रेरा का उद्देश्य सिर्फ रेगुलेशन नहीं, रियल इस्टेट डेवलपमेंट भी है।

अफजल अमानुल्लाह, चेयरमैन, रेरा, बिहार

अथॉरिटी के गठन का उद्देश्य ही ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना है। गठन के बाद बिल्डर और डेवपलर्स के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं।

तमाम मामलों में खरीददार बिल्डर के जाल में फंस जाते हैं। बिल्डर को घर बेचकर मुनाफा कमाना होता है, उसका ब्रांड स्थापित करने और वैल्यू चेन जैसी चीजों से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे में पारदर्शिता, जिम्मेदारी, अच्छे बिजनेस प्रैक्टिस का अभाव उजागर हो रहा है। अब रेरा इन सभी पर नजर रख रहा है।

ब्रोकर भी कवर्ड : अब ग्राहकों को विवादित या गलत संपत्ति बेचने वाले ब्रोकर पर भी शिकंजा कसेगा। रेरा ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्रॉपर्टी डीलरों की सूची तैयार कराने का निर्णय लिया है। ब्रोकर और एजेंट निबंधित होने पर गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। जमीन का कारोबार करने वाले एजेंटों को भी रेरा में निबंधन कराना होगा। इसके अलावा निर्मित फ्लैट की ब्रिकी कराने वाले रीयल इस्टेट एजेंट को भी निबंधन कराना होगा।